2019
121
गोविन्द

25/3/19

पत्रावली अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वाद के मध्य अधिनियम के तहत होकर पेश हुई। अतः प्रार्थी द्वारा Not Proper से खारिज कराया जाना हुआ है। प्रार्थना खारीज होने के कारण खारिज किया जाकर ही पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ल के बाद होकर वाद तकमील डाकिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर